RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 47 / 2024

अपीलांट–

1. श्री प्रहलादराम पुत्र उकाराम जाति मेघवाल, निवासी कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. श्री अकाराम पुत्र किशनाराम
2. श्री खूमाराम पुत्र किशनाराम
3. श्री ताराराम पुत्र किशनाराम
4. श्री श्रवण पुत्र किशनाराम
5. श्री मुकेश पुत्र किशनाराम
6. श्री मनीषा पुत्री किशनाराम
7. श्री लूम्बाराम पुत्र किशनाराम
8. श्रीमती देवी पत्नी किशनाराम
9. श्री पप्पु पुत्र घेवरराम
10. श्री लक्षमण पुत्र घेवरराम
11. श्रीमती गैरकी पत्नी घेवरराम

रेस्पोडेंट संख्या 2. 5. 6 नाबालिग जरिये संरक्षक एवं कुदरती वली माता रेस्पोडेंट संख्या 08 देवी पत्नी किशनाराम मेघवाल

12. श्री एवन देवी पत्नी पूराराम
13. श्री पूराराम पुत्र प्रतापराम
14. श्री आम्बाराम पुत्र चूनाराम
15. श्री केसाराम पुत्र चूनाराम
16. श्री पुखराज पुत्र चूनाराम
17. श्री मंगलाराम पुत्र चूनाराम
18. श्री मीठाराम पुत्र चूनाराम
19. श्रीमती .हंजा पत्नी चूनाराम

जातियात मेघवाल, निवासीयान भीमगोडा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

20. श्रीमान तहसीलदार सिवाना।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध कैम्प कुसीप आदेश दिनांक 15.01.2001 एवं आदेश की पालना में म्युटेशन संख्या 1429 दिनांक 07.01.2002 जो तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री कपील श्रीमाली, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री जालम सिंह व रामसिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय

दिनांकः 03.09.2025

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 226 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट संख्या 20 तहसीलदार सिवाना के द्वारा कृषि भूमि के कैम्प कुसीप विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 15.01.2001 तथा आदेश पालना में म्युटेशन संख्या 1429 दिनांक 07.01.2002 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 29.10.2024 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा ग्राम कुशीप, पटवार हल्का कुशीप में खेत खसरा नम्बर 979 रकबा 22 बीघा 08 विस्वा की भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी है। जो संयुक्त खातेदारी के रूप में अपीलांट के पिता उकाराम, रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 के पिता एवं पति किशनाराम तथा रेस्पोडेंट संख्या 09 से 10 एवं रेस्पोडेंट संख्या 13 तथा 14 से 19 के पिता एवं पति चूनाराम के नाम से दर्ज थी एवं मौके पर सभी खातेदार संयुक्त रूप से काविज रहे। उक्त भूमि के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2001 कैम्प कुशीप में सह खातेदारान द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन पर तहसीलदार सिवाना के आदेश दिनांक 15.01.2001 द्वारा पारित स्वीकृति के अनुसरण में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 1429 दायर कर तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2002 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त अपीलाधीन विभाजन उपरांत नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.10.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेंटगण के अधिवक्ता ने जवाब में यह कथन किया कि मौजा ग्राम कुशीप, पटवार हल्का कुशीप में खेत खसरा नम्बर 979 रकबा 22 बीघा 08 विस्वा की भूमि अवस्थित है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण के पूर्वज चार भाई है। उक्त भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी है। उक्त भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी जो संयुक्त खातेदारी के रूप में अपीलांट के पिता उकाराम, रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 के पिता एवं पति किशनाराम तथा रेस्पोडेंट संख्या 09 से 10 एवं रेस्पोडेंट संख्या 13 तथा 14 से 19 के पिता एवं पति चूनाराम के नाम से दर्ज थी एवं मौके पर सभी खातेदार संयुक्त रूप से काविज रहे। वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में कोई भिन्नता नहीं है। उक्त आपसी सहमति का आदेश दिनांक 15.01.2001 को तहसीलदार सिवाना द्वारा सभी खातेदारों द्वारा सहमति के आधार पर मौके पर काविज अनुसार नियमानुसार पारित करवाया गया, जिसके बाद आज भी मौके व रेकर्ड की स्थिति के अनुसार काविज है। आपसी सहमति के विभाजन के लम्बा समय 23 वर्ष बीत चुके है, लेकिन आज दिन तक किसी भी पक्षकार ने कोई एतराज नही किया। उक्त आलोच्य म्युटेशन स्वीकृत 07.01.2002 के बाद अपीलांट के वारिसान का फौतगी नामान्तरकरण वर्ष 2020 में, विभाजन नामान्तरकरण तथा बैचान नामान्तरकरण भी दर्ज किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट को पूर्व भी जानकारी थी। जिसमें भी किसी भी पक्षकार द्वारा कोई एतराज या आपत्ति नहीं की गयी। अतः तहसीलदार द्वारा उक्त विभाजन आदेश की पालना में तहसीलदार सिवाना द्वारा

जिला कलक्टर
बालोतरा

पारित आलोच्य म्युटेशन संख्या 1429 दिनांक 07.01.2002 जारी किया गया है, को बहाल रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, आधारहीन तथा म्याद बाहर होने से उक्त अपील खारिज करने का आदेश फरमावे।

5. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि यह है कि सरहद मौजा ग्राम कुशीप पटवार हल्का कुशीप में खेत खसरा नम्बर 979 रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा की भूमि आई हुई थी, जो संयुक्त खातेदारी के रूप में अपीलांट के पिता उकाराम, रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 के पिता एवं पति किशनाराम तथा रेस्पोडेंट संख्या 09 से 10 एवं रेस्पोडेंट संख्या 13 तथा 14 से 19 के पिता एवं पति चूनाराम के नाम से दर्ज थी एवं मौके पर सभी खातेदार संयुक्त रूप से काविज रहे। वादग्रस्त आराजी भूमि राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज थी जिसमें सभी खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से के अनुरूप मौखिक बंटवाड़ा के अनुरूप काश्त कर रहे थे। जिसमें हिस्से को लेकर कभी विवाद कायम नहीं रहा। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी के तौर पर दर्ज होने एवं अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के पूर्वज एक ही परिवार एवं समाज से होने से वादग्रस्त आराजी के वदिशा पूर्व में चल रहे कटाण मार्ग से जुड़ते हुए रास्ते की भूमि तक अपने अपने हिस्से की भूमि में काश्त कर रहे थे। मुख्य कटाण मार्ग से जुड़ता हुआ हिस्सा होने से काश्त के लिए अपीलांट के अलावा अन्य सभी खातेदार की सुविधा के अनुरूप होने से अपीलांट द्वारा की जा रही काश्त के हिस्से में रेस्पोडेंटगण द्वारा रूकावट दखलंदाजी आज रोज तक पैदा नहीं की। वादग्रस्त खातेदारी खेत की भूमि राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज रहने पर सभी खातेदार मौखिक बंटवाड़ा के अनुरूप माफिक हक हिस्से नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" के अनुरूप काश्त करते आ रहे है। वर्ष 2001 में राजस्व केम्प के दरम्यान रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 के पूर्वज किशनाराम द्वारा राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारीयों से मिलावट करते हुए गलत तरीके से दिनांक 11.10.2001 को बंटवाड़ा आपसी सहमति से होना बता कर दिनांक 07.01.2002 को गलत तरीके से नामान्तरणकरण कर स्वीकृत करवाकर राजस्व रेकर्ड के नक्शे में गलत तरीके से तरमीम करवा दी, जिसकी जानकारी अपीलांट के पिता उकारामजी को होने नहीं दी। कुछ रोज पूर्व रेस्पोडेंटगण द्वारा मुख्य कटाण मार्ग के जुड़ते हुए अपीलांट को प्राप्त हिस्से की भूमि पर निर्माण सामग्री डाल कर निर्माण कार्य करना आरम्भ करने पर अपीलांट द्वारा ऐतराज किया गया व उपरोक्त हिस्से की भूमि उसके पूर्व समय से कब्जे काश्त की खातेदारी होना बताया तब रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण को बताया कि वादग्रस्त भूमि उनके हक हिस्से की तरमीमसुदा खातेदारी भूमि है, तब अपीलांट द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 14.10.2024 को प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेंट के पूर्वज द्वारा गलत तरीके से राजस्व रेकर्ड के नक्शे में राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर तरमीम करवा दी। अतः उक्त आलोच्य म्यूटेशन संख्या 30 दिनांक 05.04.2002 को जारी किया गया, को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

6. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि उक्त विभाजन का आलोच्य मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध नहीं है। नामान्तरणकरण संख्या 1429 तहसीलदार सिवाना द्वारा गलत तरीके से भू राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के विपरीत अपीलांट एवं उसके पिता अनपढ, ग्रामीण व्यक्ति होने से राजस्व रेकर्ड के नक्शे में की गई है। नामान्तरणकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व वादग्रस्त आराजी का मौका मुआयना नहीं कर मात्र कागजी खानापूर्ति की गई, जिसकी जानकारी अपीलांट के पूर्वज को नहीं दी गई। राजस्व रेकर्ड में नामान्तरणकरण दर्ज करते वक्त जांच प्रतिवेदन एवं विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करने से पूर्व सभी खातेदारान की कब्जे से संबंधित जांच नहीं की गई और न ही उनकी

जिला कलक्टर
जालोर

सहमति ली गई। जिस बाबत तहसीलदार सिवाना में पत्रावली भी मौजूद नहीं है। विभाजन प्रस्ताव आपसी सहमति का दस्तावेज तैयार करने एवं सभी खातेदार के हक हिस्से की काश्त की भूमि तक पहुंचने हेतु संयुक्त रूप से आवागमन हेतु भूमि दर्ज नहीं की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हक हिस्से की जोत की भूमि पर काश्त करने आवागमन करने का पूर्ण अधिकार है, मगर तथाकथित मिलावटी तरीके से स्वीकृत नामान्तरणकरण के जरिये राजस्व रेकर्ड के नक्शे में दर्ज हिस्से की भूमि तक अपीलांट आवागमन करने काश्त करने से महरूम रह जायेगा। संयुक्त खातेदारी खेत की भूमि का बंटवाड़ा करने से पूर्व सभी खातेदारान के हिस्से की भूमि तक पहुंचने हेतु संयुक्त खातेदारी हिस्से की भूमि रखना काश्तकारी अधिनियम के तहत अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना द्वारा जारी जारी विभाजन आदेश दिनांक 15.01.2001 तथा उनकी पालना में तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित म्युटेशन संख्या 1429 दिनांक 07.01.2022 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किया जाये।

7. रेस्पोडेंटगण संख्या के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि मौजा ग्राम कुसीप, पटवार हल्का कुशीप में खेत खसरा नम्बर 979 रकबा 22 बीघा 08 विस्वा की भूमि अवस्थित है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण के पूर्वज चार भाई है। उक्त भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में कोई भिन्नता नहीं है। उक्त भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी जो संयुक्त खातेदारी के रूप में अपीलांट के पिता उकाराम, रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 के पिता एवं पति किशनाराम तथा रेस्पोडेंट संख्या 09 से 10 एवं रेस्पोडेंट संख्या 13 तथा 14 से 19 के पिता एवं पति चूनाराम के नाम से दर्ज थी एवं मौके पर सभी खातेदार संयुक्त रूप से काबिज रहे। वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में कोई भिन्नता नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट एवं उनके पूर्वजों के सम से बंटवाड़ा हो चुका है तथा मौके पर अलग अलग कब्जा काश्त दोनों ही पक्षकारान का है। उक्त आपसी सहमति का आदेश दिनांक 05.04.2002 को उप तहसील जसोल द्वारा सभी खातेदारों द्वारा सहमति के आधार पर मौके पर काबिज अनुसार नियमानुसार पारित करवाया गया, जिसके बाद आज भी मौके व रेकर्ड की स्थिति के अनुसार काबिज है। आपसी सहमति के विभाजन के लम्बा समय 23 वर्ष बीत चुके है, लेकिन आज दिन तक किसी भी पक्षकार ने कोई एतराज नही किया। आपसी सहमति के विभाजन 15.01.2001 के बाद पक्षकारों का फौतगी नामान्तरकरण भी दर्ज किया गया है, जिसमें भी किसी भी पक्षकार द्वारा कोई एतराज या आपत्ति नहीं की गयी। अपीलांट व रेस्पोडेंटगण उक्त आपसी सहमति के विभाजन के कई दशकों बाद शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी रोक टोक के अपने हक–हिस्सो में लगातार खेतीबाड़ी करते आ रहे है। राजस्व रेकर्ड में खातेदारों के मौके पर काबिज हिस्सा अनुसार ही बंटवाड़ा दर्ज है। उसी अनुसार हम रेस्पोडेंटगण भूमि का उपयोग उपभोग कर खाद, बीज डालकर उपजाउ बनाकर भूमि सुरक्षा व संरक्षण करते आ रहे है। अपीलाण्ट का किसी भी प्रकार से कटाण रास्ते की भूमि से लगता कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है, रास्ते से लगती भूमि रेस्पोडेण्टस् के हक हिस्से कब्जे काश्त में मौजूद है, जो कदीम से उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टस् के हक हिस्से के बीच में तारबन्दी की हुई है, तथा सेढे कायम किये हुए है। जबकि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टस् के पूर्वजों द्वारा बंटवाड़ा के अनुसार कटाण रास्ते से लगती भूमि पर रेस्पोडेण्टस् का कब्जा काश्त मौजूद है। जिसमें रेस्पोडेण्टस के मकानात बने हुए है तथा ट्ववैल व लाईट कनेक्शन रेस्पोडेण्टस् के नाम से प्राप्त किया हुआ है, जिस पर पुराना टांका भी बना हुआ है। रेस्पोडेण्टस् के मालिकाना हक अधिकारों के खेत खसरा नम्बर 1285/979 रकबा 0.9065

जिला कलक्टर

हैक्टेयर किस्म मगरा में रेस्पोडेण्टस् का इंदिरा आवास योजना के तहत् आवास बना हुआ है, इसके अतिरिक्त 11 सदस्यों के मकान भी बने हुए है। खेत खसरा नम्बर 1285/979 रकबा 0.9065 हैक्टेयर किस्म मगरा रेस्पोडेण्टस के हक अधिकार, कब्जा काश्त की भूमि है, जो पक्षकारों के पूर्वजों द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा के अनुसार ही रेस्पोडेण्टस् के हक हिस्से कब्जे में है, जिसको अपीलाण्ट बार-बार पुनः बंटवाड़ा नहीं करवा सकते है। उक्त भूमि का पूर्व में पक्षकारान के मध्य बंटवाड़ा हो चुका है, जिसके सम्बन्ध में अपीलाण्ट ने ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है, जिससे साबित हो सके कि बंटवाड़ा सही नहीं हुआ है। अपीलाण्ट एण्ड रेस्पोडेंट्स के पिता फौत हो चुके है। तहसीलदार सिवाना द्वारा आपसी सहमति के विभाजन उपरांत नामान्तरकरण संख्या 1429 दिनांक 07.01.2022 सही व विधि अनुसार पारित किया है। दिनांक 07.01.2002 को सही तरीके से म्यूटेशन की प्रविष्टी दर्ज की गई विभाजन प्रस्ताव किसी भी प्रकार से अशुद्ध रूप से तरमीम नही की गयी। उक्त विभाजन के उसी अनुसार सभी खातेदारान 23 वर्षों से काश्त करते आ रहे है, अगर उक्त विभाजन प्रस्ताव मौका स्थिति से विपरित पारित किया होता तो 23 वर्षों की अवधि तक अपीलांटगण चुप क्यों रहे, इसका अपनी अपील में कोई अंकन नहीं किया गया है तथा न ही अपील इतने वर्षों बाद प्रस्तुत करने का कोई स्पष्ट कारण अंकित किया है। अतः तहसीलदार द्वारा उक्त विभाजन आदेश की पालना में तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित आलोच्य म्युटेशन संख्या 1429 दिनांक 07.01.2022 जारी किया गया है, को बहाल रखते हुए अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, आधारहीन तथा म्याद बाहर होने से उक्त अपील खारिज करने का आदेश फरमावे।

8. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा ग्राम कुसीप पटवार हल्का कुशीप में खेत खसरा नम्बर 979 रकबा 22 बीघा 08 विस्वा की भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी है। जो संयुक्त खातेदारी के रूप में अपीलांट के पिता उकाराम, रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 के पिता एवं पति किशनाराम तथा रेस्पोडेंट संख्या 09 से 10 एवं रेस्पोडेंट संख्या 13 तथा 14 से 19 के पिता एवं पति चूनाराम के नाम से दर्ज थी एवं मौके पर सभी खातेदार संयुक्त रूप से काबिज रहे। उक्त भूमि के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2001 कैम्प कुसीप में सह खातेदारान द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन पर तहसीलदार सिवाना के आदेश दिनांक 15.01.2001 द्वारा पारित स्वीकृति के अनुसरण में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 1429 दायर कर तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2002 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष 29.10.2024 को प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकलें प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.10.2024 को होना प्रकट किया हैं, जबकि पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी का अवलोकन किया, जिसमें अपीलांट अपने पिता के फोतगी पर नामान्तरकरण संख्या 544 दिनांक 10.08.2020 को अपने नाम पारित करवाये हैं। इसके पश्चात बैचान म्युटेशन संख्या 702 दिनांक 28.06.2024 को पारित किया गया तथा विभाजन नामान्तरकरण संख्या 716, 715 दिनांक 22.08.2024 को विभाजन नामान्तरकरण पारित करवाये गये, होना पाया गया। अपीलांट द्वारा ही जब पूर्व में अपने पिता के फौतगी म्युटेशन पारित किया जा चुका हैं, इससे साबित होता हैं कि अपीलांट को उक्त आलोच्य आदेश की जानकारी पूर्व में थी। अपीलांट को पूर्व में जानकारी होने के पश्चात् भी लगभग 4 वर्ष तथा उक्त आलोच्य आदेश के 23 वर्ष के बाद

जिला कलक्टर

अपील पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा इस अपील में उक्त तथ्यों को छिपाते हुए मयाद के सम्बन्ध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश के 23 साल बाद हस्तगत अपील पेश की गई हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता हैं कि अपीलांट्स की ओर से यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा जहां तक अपीलांट का कथन हैं कि मौके पर कब्जा काश्त एवं रेकर्ड में भिन्नता हैं। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना से तलब की गई मौका रिपोर्ट में राजस्व रेकर्ड तथा कब्जा मौका में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई गई, बताया गया। इस प्रकार अपीलांट की यह अपील मयाद बाधित हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस एवं युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किये जाने से खारिज योग्य हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर
बालोतरा